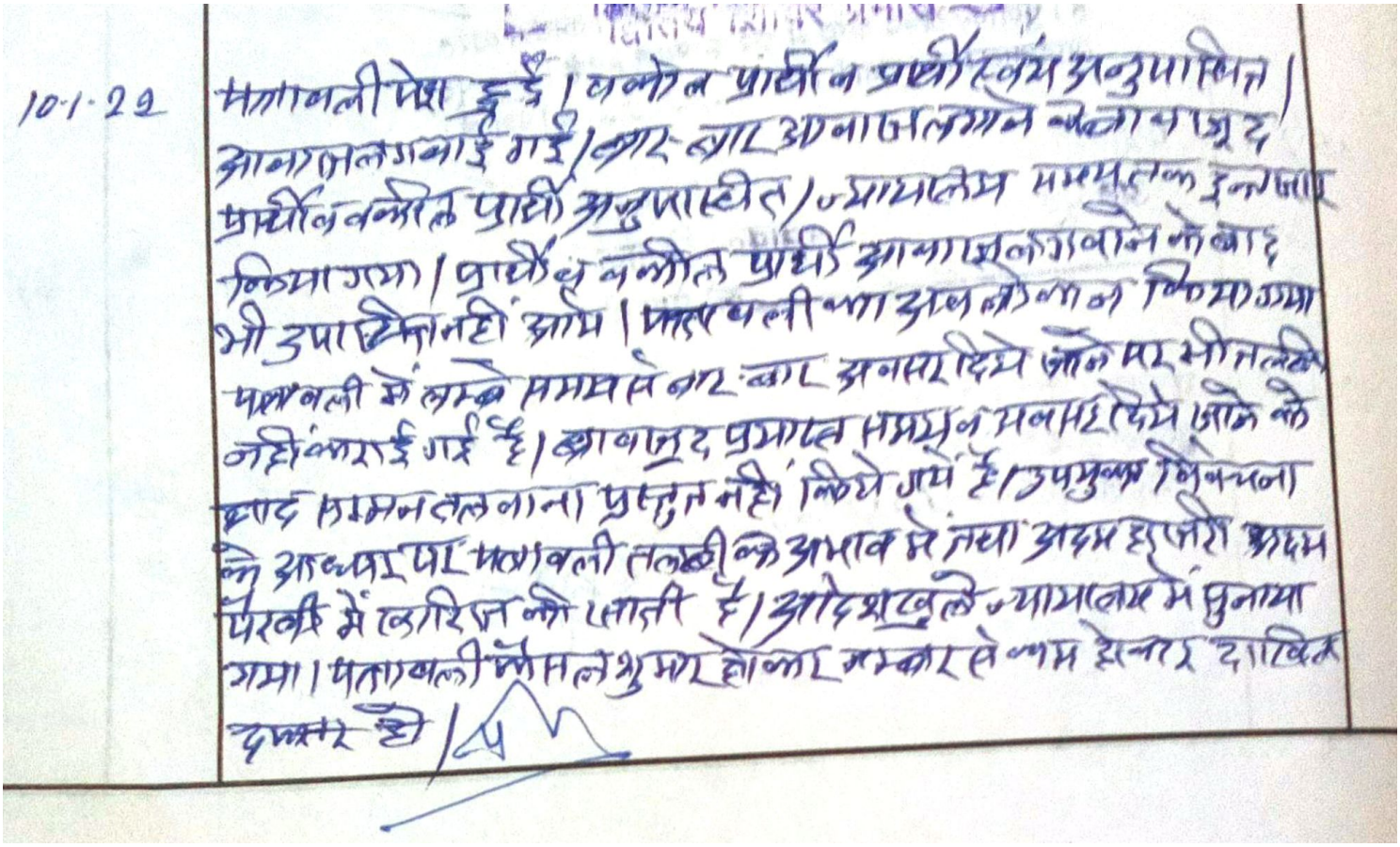

10-1-22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगाने के बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय तक इन्तजार किया गया। प्रार्थी व वकील प्रार्थी आवाज लगवाने के बाद भी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में लम्बे समय से बार बार अवसर दिये जाने पर भी तलबी नहीं करवाई गई है। बावजूद पर्याप्त समय व अवसर दिये जाने के बाद समन तलबाना प्रस्तुत नहीं किये गये है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर पत्रावली तलबी के अभाव में तथा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील शुमार होकर मय्याद से नियम अनुसार दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:33:37 IST
Reason: SelfAttested